

प्रसारण:— शाम 7.57 बजे से।

अवधि:— 15 मिनट

01. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया से बिहार के लिए चालीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
02. श्री मोदी ने राजद और कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा— घुसपैठियों को हर हाल में बाहर जाना ही होगा।
03. सर्वोच्च न्यायालय का वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार। वक्फ संशोधन अधिनियम दो हजार पच्चीस के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई।
04. और, सुप्रीम कोर्ट ने कहा— बिहार में जारी एसआईआर में यदि कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जायेगा।

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया से बिहार के लिए चालीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया। पूर्णिया के गुलाब बाग स्थित शीशा बाड़ी में एक जनसभा को संबोधित करते हुए प्रधानमंत्री ने कहा कि डबल इंजन सरकार बिहार के लोगों के जीवन को आसान बनाने के लिए निरंतर काम कर रही है।

———बाइट———

श्री मोदी ने कांग्रेस और राजद की आलोचना करते हुए कहा कि इन दलों को बिहार के विकास से कोई मतलब नहीं है।

———बाइट———

प्रधानमंत्री ने राजद और कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाते हुए कहा कि उन्हें हर हाल में बाहर जाना ही होगा।

———बाइट———

प्रधानमंत्री ने कहा कि भागलपुर के पीरपैती में प्रस्तावित ताप विद्युत परियोजना से बिहार को ऊर्जा जरूरतें पूरी होंगी। वहीं, कोसी-मेची नदी लिंक परियोजना से सीमांचल के किसानों को काफी फायदा होगा।

----बाइट----

श्री मोदी ने पूर्णिया हवाई अड्डे के नए टर्मिनल भवन का उद्घाटन किया। उन्होंने कहा कि अब पूर्णिया देश के विमानन मानचित्र पर आ गया है।

----बाइट----

रेल क्षेत्र में प्रधानमंत्री ने कई परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया और नई ट्रेनों को रवाना किया। श्री मोदी ने कहा कि उनके कार्यकाल में बिहार में रेल नेटवर्क का अभूतपूर्व विस्तार हुआ है।

----बाइट----

प्रधानमंत्री श्री मोदी ने बिहार में राष्ट्रीय मखाना बोर्ड का भी शुभारंभ किया। उन्होंने कहा कि बोर्ड मखाना उत्पादन और नई प्रौद्योगिकी को बढ़ावा देगा।

----बाइट----

बिहार के एक मखाना व्यापारी ने आकाशवाणी से बातचीत में मखाना बोर्ड बनाने के लिए प्रधानमंत्री को धन्यवाद दिया है।

----बाइट----

मैं पूर्णिया डिस्ट्रिक्ट के हरदा बाजार से एक मखाना व्यापारी हूँ। मेरा नाम आदर्श कुमार है। मखाना बोर्ड का गठन होने से पूर्णिया में व्यापारी को बहुत लाभ मिलेगा। यहां के मखाने का प्रोडक्ट पूरा वर्ल्ड में जाएगा। मैं इसके लिए माननीय श्री प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी जी आभारी बना रहूंगा।

प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी ने कहा कि जीएसटी दरों में सुधार से आम लोगों का जीवन आसान हो जायेगा।

-----बाइट-----

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने बिहार को कई सौगात देने के लिए प्रधानमंत्री नरेन्द्र मोदी को धन्यवाद दिया है। उन्होंने कहा कि केन्द्र सरकार के सहयोग से बिहार लगातार प्रगति पथ पर है।

-----बाइट-----

सर्वोच्च न्यायालय ने वक्फ कानून पर रोक लगाने से इंकार कर दिया है लेकिन वक्फ संशोधन अधिनियम 2025 के कुछ प्रावधानों को स्थगित कर दिया है। किसी व्यक्ति को अपनी संपत्ति वक्फ बनाने से पहले पांच साल तक मुस्लिम धर्म का पालन करने की अनिवार्यता वाले खंड पर रोक लगा दी गई है। सर्वोच्च न्यायालय ने आदेश दिया है कि यह खंड तब तक निलंबित रहेगा जब तक राज्य सरकारें इस शर्त के निर्धारण के संबंध में कोई समुचित नियम नहीं बना लेती हैं। प्रधान न्यायाधीश न्यायमूर्ति बी.आर. गवई और न्यायमूर्ति ए.जे. मसीह की पीठ ने इस कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर आज अपना निर्णय सुनाया है। पीठ ने कहा है कि पूरे कानून पर रोक लगाने का कोई मामला नहीं बनता है।

-----बाइट-----

सरकार ने नामित अधिकारी को यह निर्णय लेने की अनुमति देने वाले प्रावधान पर भी रोक लगाई है कि क्या कोई वक्फ संपत्ति सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करती है। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि कार्यकारी अधिकारी नागरिकों के अधिकारों का निर्धारण नहीं कर सकते, क्योंकि यह शक्तियों के

विभाजन का उल्लंघन होगा। वक्फ बोर्ड में गैर-मुस्लिम सदस्यों के नामांकन को अनुमति देने वाले प्रावधान पर रोक नहीं लगाई गई है। न्यायालय ने कहा है कि जहाँ तक संभव हो, बोर्ड का पदेन सदस्य मुस्लिम व्यक्ति होना चाहिए। न्यायालय ने अपने आदेश में कहा है कि केंद्रीय वक्फ परिषद में चार से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य नहीं होंगे और राज्य वक्फ बोर्ड में तीन से अधिक गैर-मुस्लिम सदस्य शामिल नहीं किए जाएंगे। न्यायालय ने स्पष्ट किया है कि ये टिप्पणियाँ केवल प्रथम दृष्टया प्रकृति की हैं। समाचार कक्ष से वैष्णवी।

अल्पसंख्यक कार्य मंत्री किरें रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक पर सर्वोच्च न्यायालय के फैसले का स्वागत किया है। मुंबई में संवाददाताओं से बातचीत में उन्होंने कहा कि यह विधेयक सबसे लंबी चर्चा के बाद संसद में पारित हुआ।

-----बाइट-----

सुप्रीम कोर्ट की जो बेंच ने जो तय किया है। यह हमारे लोकतंत्र के लिए भी बहुत अच्छा शुभ संकेत है। दूसरी बात ये है कि वक्फ एमनमेंट एक्ट में जो प्रावधान है वो संपूर्ण रूप से पूरे मुस्लिम कौम के लिए फायदा पहुंचाने वाला है और वक्फ बोर्ड के माध्यम से जो मिस यूज होते थे वो भी बंद हो जाएंगे और वक्फ प्रॉपर्टी से जो भी फायदा होगा, वो मुस्लिम महिलाओं के लिए, मुस्लिम बच्चों के लिए, यतीम के लिए जो बेघर हैं, जो मुसलमानों में भी जो गरीब हैं, जो पिछड़ा है उनके लिए भी काम आने वाला है।

सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि बिहार में जारी एसआईआर में यदि कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जायेगा। एसआईआर के खिलाफ दायर याचिकाओं पर सुनवाई करते हुए न्यायमूर्ति सूर्यकांत और न्यायमूर्ति जॉयमाल्या बागची की पीठ ने कहा कि न्यायालय यह मानकर चलता है कि चुनाव आयोग अपनी जिम्मेदारियों को जानता है। पीठ ने कहा कि एसआईआर पर आने वाला अंतिम फैसला सिर्फ बिहार में ही नहीं बल्कि पूरे देश में लागू होगा। मामले की अगली सुनवाई सात अक्टूबर को होगी।

सेवा और सुशासन, मंत्र पर चलते हुए, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार परिवर्तन और प्रगति के लिए अथक प्रयास कर रही है। देशभर में सत्रह सितम्बर से दो अक्टूबर तक सेवा पर्व का आयोजन किया जा रहा है। प्रादेशिक समाचार एकांश पटना की ओर से इस अवसर पर विशेष श्रृंखला का प्रसारण शुरू

किया जा रहा है। यह विशेष कार्यक्रम आज रात आठ बजकर बीस मिनट से सुना जा सकता है।

यूनिफाइड पेमेंट्स इंटरफेस-यूपीआई उपयोगकर्ता अब एक दिन में 10 लाख रुपये तक के व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन कर सकते हैं। भारतीय राष्ट्रीय भुगतान निगम-एनपीसीआई ने निर्धारित श्रेणियों में व्यक्ति-से-व्यापारी लेनदेन के लिए एकल लेनदेन सीमा को बढ़ाकर 5 लाख रुपये कर दिया है।

भाजपा के वरिष्ठ नेता और मंत्री जीवेश कुमार के खिलाफ दरभंगा जिले के सिंघवाड़ा थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई गई है। जीवेश कुमार पर एक यू-ट्यूबर के साथ मारपीट करने का आरोप है।

बिहार पुलिस में सिपाही और दारोगा के पदों पर नियुक्ति की मांग को लेकर अभ्यर्थियों ने आज पटना में प्रदर्शन किया।

01. प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने आज पूर्णिया से बिहार के लिए चालीस हजार करोड़ रुपये से अधिक की कई विकास परियोजनाओं का उद्घाटन और शिलान्यास किया।
 02. श्री मोदी ने राजद और कांग्रेस पर घुसपैठियों को संरक्षण देने का आरोप लगाया। कहा- घुसपैठियों को हर हाल में बाहर जाना ही होगा।
 03. सर्वोच्च न्यायालय का वक्फ कानून पर रोक लगाने से इनकार। वक्फ संशोधन अधिनियम दो हजार पच्चीस के कुछ प्रावधानों पर रोक लगाई।
 04. और, सुप्रीम कोर्ट ने कहा- बिहार में जारी एसआईआर में यदि कोई गड़बड़ी पायी जाती है तो पूरी प्रक्रिया को रद्द कर दिया जायेगा।
-